उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 09/2016/102/92-2-16-78जॉच/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 17 फरवरी,2016

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03-06-2015 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बुलंदशहर में पायी गयी कार्यो की मन्द प्रगति तथा शासकीय कार्यो के प्रति लापरवाही एवं अपने अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-635/ 92-2-2015-78जॉच/2015, दिनांक 04-06-2015 द्वारा श्री जवाहर सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बुलंदशहर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- श्री जवाहर सिंह द्वारा उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रत्यावेदन दिनांक 05-07-2015 शासन में प्रस्तुत किया गया। श्री जवाहर सिंह द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित कारणों एवं उसके साथ संलग्न किये गये **National/State Quality Managers** की निरीक्षण आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि श्री सिंह द्वारा कार्यो को पूर्ण कराने में जो विलम्ब हुआ है उसके समुचित कारण थे। अतएव उक्त् के संबंध में शासन के पत्र संख्या-861/92-2-15-78जांच/2015 दिनांक 31-07-2015 द्वारा श्री जवाहर सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बुलंदशहर से स्पष्टीकरण मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 23-11-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी, श्री जवाहर सिंह से मांगे गये स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण के क्रम में अपचारी अधिकारी, श्री सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने बचाव उत्तर/प्रत्यावेदन व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि मांगे गये स्पष्टीकरण में उल्लिखित किसी भी अनियमितता हेतु अपचारी अधिकारी, श्री सिंह उत्तरदायी नही है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-06-2015 द्वारा श्री जवाहर सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बुलंदशहर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-09/2016/102 (1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री जवाहर सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बुलंदशहर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।